

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक : ई-33/ पैरा.मेडी /एफ 09/2024/435 दिनांक 11-03-2024.

//आदेश//

निम्नलिखित कार्मिकों के राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर नाम के सम्मुख अंकित तिथि पर मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्रसं.	कर्मचारी का नाम/ पद	पदस्थापन स्थान/जिला	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	सत्यनारायण खाती, नैत्र सहायक	जिला आई मोबाईल युनिट भीलवाडा	01.06.1964	21.09.1987	सेवानिवृत्ति (दिनांक 31.05.2024)
2.	उजागर सिंह, अधीक्षक रेडियोग्राफर	जे.के. लोन चिकित्सालय कोटा	24.07.1964	30.12.1985	सेवानिवृत्ति (दिनांक 31.07.2024)
3.	योगेश कुमार महावर, लैब टेक्नीशियन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डाना कोटा	15.08.1964	30.03.1992	सेवानिवृत्ति (दिनांक 31.08.2024)
4.	कृष्ण गोपाल सर्वा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक	महात्मा गाँधी अस्पताल भीलवाडा	17.07.1964	20.09.1987	सेवानिवृत्ति (दिनांक 31.07.2024)
5.	ढगलु खातेली, वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर जिला ब्यावर	01.07.1964	26.09.1987	सेवानिवृत्ति (दिनांक 30.06.2024)

कर्मचारी के विरुद्ध:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधिन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर
दिनांक 11-03-2024.

क्रमांक : ई-33/पैरा.मेडी/एफ .09/2024/435

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-कोटा/अजमेर।
- संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
- जिला आई मोबाईल युनिट भीलवाडा।
- जे.के. लोन चिकित्सालय कोटा।
- महात्मा गाँधी अस्पताल भीलवाडा।
- संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।
- डीपीसी अनुभाग मुख्यालय।
- संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड वास्ते।
- आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

उक्त कार्मिकों के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली कर के तत्काल प्रभाव से निदेशालय को अवगत करावें।

RajKaj Ref
5852542

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर
Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director